

**-: वित्तीय वर्ष 2026-27- निविदा शर्तें :-**

01. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सब्जियां एवं फल के क्रय की कार्यवाही म0प्र0 जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधन-2022) के अंतर्गत ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात् ऑनलाईन की जाएगी।
02. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध हैं। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रूपये 500/- एवं 5 लाख से अधिक रूपये 1000/- प्रति निविदा फॉर्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें -800 अन्य प्राप्तिां में करना होगा।
03. निविदाएं खण्डवार पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खण्डानुसार [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (EarnestMoneyDeposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्रं.	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि
1.	सब्जियाँ एवं फल	9,00,000/-	27,000/-

04. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2026 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
05. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाए वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
06. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST)के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा तिथि से पिछली तिमाही (Quarter)का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
07. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
08. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वांरट-3/भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं प्रपत्र (ब) में पृथक-पृथक 200-200 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप प्र मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपत्र पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

**प्रारूप (अ)**

**शपथ-पत्र**

(कारागार अधिनियम - 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

में ..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल ..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि, निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म ..... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

**प्रारूप (ब)**

**शपथ-पत्र**

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 05/वांरट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

में ..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल ..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि, निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म ..... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

09. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कराए जायेंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जायेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :-

- i. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड ।
  - ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैद्य प्रमाण पत्र ।
  - iii. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा तिथि से पिछली तिमाही (Quarter)का जी.एस.टी. रिटर्न प्रमाण पत्र ।
  - iv. विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र ।
  - v. शपथ पत्र "अ" एवं "ब" ।
  - vi. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैद्य लायसेंस ।
  - vii. खाद्य वस्तुओं के लिये संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन वैद्य अनुज्ञप्ति (लायसेंस) ।
  - viii. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैद्य लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैद्य लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र ।
  - ix. दवाईयों की निविदा हेतु वैद्य ड्रग लायसेंस ।
  - x. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र ।
  - xi. वस्तुओं के ब्राण्ड से संबंधित-पत्र ।
11. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्राण्ड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्राण्ड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ-सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूनें के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
14. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूनों के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री

उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को उपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन (Performance Guarantee) राशिमें से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

15. सब्जियों साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुँचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन-व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसीभी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलम्ब से भेजी गई सब्जियाँ वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियाँ उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएंगी।
16. दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैद्य ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयों एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियो तथा जेल में गभीर रूप से बीमार बंदियो हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होंगी।
17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएंगी।
18. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 में संशोधन अनुसार करारनामा तैयार किया जावेगा।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएंगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी/ Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खण्ड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।
21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियाँ समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जबाबदारी निविदाकार की होगी।
22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाईल नंबर/Whatsapp Number/ Email ID देना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिये मान्य होगी।
23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।
25. निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

टीप:- जेल मुख्यालय (म0प्र0) भोपाल का पत्र क्रमांक/19991/निर्वाह शाखा/2023/दिनांक 15.12.2023 संलग्न कर अवलोकनार्थ उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। जेल मुख्यालय, भोपाल का पृ. पत्र क्रमांक 4832/निर्वाह शाखा/26 दिनांक 26.02.2026 एवं जेल मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/4915/दिनांक 27.02.2026 में दिये गये निर्देश का पालन अनिवार्य है उपरोक्त पत्र संलग्न किया जा रहा है।

  
Superintendent  
जेल अधीक्षक  
District Jail Secm (M.P.)

जिला जेल, सिवनी (म0प्र0)



# जेल मुख्यालय

भोपाल (म.प्र.)

क्रं. /निर्वाह शाखा/2026 भोपाल, दिनांक 2026

प्रति,

जेल अधीक्षक,  
केन्द्रीय जेल इंदौर  
मध्य प्रदेश।

विषय: वर्ष 2026-27 की वार्षिक निविदा में रूपये 200/- के स्टाम्प पर मार्गदर्शन दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 135/ निर्वाह/2026 इंदौर दिनांक 13.02.2026।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय में संदर्भित लेख है, कि वर्ष 2026-27 की निविदा में शर्त क्र. 08 में शपथ पत्र अ एवं ब 200 रु. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है, कि केन्द्रीय जेल इंदौर की वार्षिक निविदा 2026-27 में कई निविदाकारों द्वारा 100 रु. के स्टाम्प पर 100 रु. का एड्रेसिव स्टॉम्प टिकिट लगाकर शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिसे 200 रु. का स्टाम्प पत्र माना जाए अथवा नहीं।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है, कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय 02 स्टाम्प शुल्क की धारा 10 के अनुसार एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09.09.2025 द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 03 (1) के अनुसार 200 रु. के स्टाम्प के लिए 100 रु. के स्टाम्प पर 100 रु. का एड्रेसिव स्टाम्प टिकिट लगाना विधि अनुसार मान्य नहीं है।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक

म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपि:

पृ. क्रमांक 4832 /निर्वाह शाखा/ 2026, भोपाल, दिनांक 26/02/2026

1. समस्त जेल अधीक्षक, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक

म.प्र. भोपाल

Superintendent  
District Jail Seoni (M.P.)



## जेल मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

क्रं. /निर्वाह शाखा/2026 भोपाल, दिनांक 2026

प्रति,

प्रभारी, जेल अधीक्षक,  
जिला जेल, देवास  
मध्य प्रदेश।

विषय: वार्षिक निविदा वर्ष 2026-27 में शपथ पत्र मान्य करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदाय करने बावत।

संदर्भ: आपका का पत्र क्रमांक 376/स्थापना/2026 दिनांक 24.02.2026।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है, कि जेल मुख्यालय की निविदा शर्त क्रमांक 8 के अनुसार निविदा में भाग लेने वाली फर्मों को शपथ पत्र अ एवं ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है, कि भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2014 की अनुसूची 01-क के अनुच्छेद क्रमांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी के द्वारा 50 रु. के टिकट चस्या कर, नोटरी की जाना थी। परंतु कुछ निविदाकारों द्वारा 50 रु. के स्थान पर 10 रु. का नोटरीकरण किया गया है। इस संबंध में कुछ निविदाकारों द्वारा आपत्ति ली गई है, कि यह सही नहीं है। निविदा को निरस्त किया जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है, कि भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2014 की अनुसूची 01-क के अनुच्छेद क्रमांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी पर 50 रु. का टिकट लगाना ही विधि अनुसार मान्य है। नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।  
(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपि: 4915

पृ. क्रमांक /निर्वाह शाखा/ 2026, भोपाल, दिनांक 27/ 2/2026

- समस्त जेल अधीक्षक, मध्य प्रदेश को निर्देशित किया जाता है, कि भविष्य में शपथ पत्र एवं अनुबंध संबंधी कार्यवाही भारतीय स्टाम्प अधिनियम व उसमें समय-समय पर जारी किए गए संशोधन अनुसार की जाना सुनिश्चित करें।

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल

Superintendent  
District Jail Seoni (M.P.)